न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–148/2018

CIS NO.TS-509/2018

मुकेश जयसवाल.....वादी

बनाम

सुन्दरपति देवी एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

DATE	ORDER	REMARKS
28.02.2024	उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। आज अभिलेख प्रतिवादी सं0–06 रचना जयसवाल की ओर दिये गये आवेदन दिनांक 09.01.2024 पर सुनवाई एवं आदेश हेतु नियत है। **आदेश (ORDER)** प्रतिवादी सं0–06 रचना जयसवाल की ओर से अपने आवेदन दिनांक 09.01.2024 में कहा गया है कि प्रतिवादी सं0–06 रचना जयसवाल दिनांक 28.03.2019 को अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित हुई तथा बयान तहरीरी वास्ते समयावेदन दिये जो न्यायालय के द्वारा स्वीकृत किया गया। कुछ आवश्यक कागजातो के खोजबीन तथा नकल प्राप्त होने में विलंब हुआ तथा प्रतिवादी सं0–06 अपना बयान तहरीरी समय पर दाखिल नही हो सका तथा दिनांक 16.07.2019 को प्रतिवादी सं0–06 को लिखित कथन देने से न्यायालय द्वारा वंचित कर दिया गया। दिनांक 17.10.2023 को प्रतिवादी सं0–06 द्वारा अपना लिखित कथन न्यायालय में दाखिल की है। प्रतिवादी सं0–06 द्वारा बयान तहरीरी में जानबुझकर विलंब नही किया गया। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि बयान तहरीरी दाखिल करने में हुये विलंब को माफ करते हुये दिनांक 16.07.2019 के आदेश को वापस लेते हुये प्रतिवादी सं0–06 की बयान तहरीरी को स्वीकृत करने की कृपा करें। वादी की ओर से प्रतिवादी सं0–06 के आवेदन का मौखिक विरोध किया तथा कहा कि प्रतिवादी सं0–06 को पर्याप्त समय देने के बावजूद भी समय पर बयान तहरीरी दाखिल नही की है। अतः आवेदन खारिज किया जाय। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि प्रतिवादी सं0–06 दिनांक 28.03.2019 को न्यायालय में अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित हुई तथा प्रतिवादी सं0–06 को दिनांक 16.07.2019 को	

न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–148/2018

CIS NO.TS-509/2018

मुकेश जयसवाल.....वादी

बनाम

सुन्दरपति देवी एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

लगातार 28.02.2024	बयान तहरीरी दाखिल से वंचित कर दिया गया तथा प्रतिवादी सं0–06 द्वारा दिनांक 17.10.2023 को अपना बयान तहरीरी न्यायालय में दाखिल की है। विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि किसी भी वाद का निस्तारण उभय पक्षों को सुनकर किया जाना चाहिए। जिससे वाद का निस्तारण अंतिम रूप से किया जा सके तथा वादों की बहुलता को रोका जा सके। अतः प्रतिवादी सं0–06 को अपना पक्ष प्रस्तुत कर वाद में संघर्ष करने का अवसर देना न्यायोचित प्रतीत होता है परंतु प्रतिवादी सं0–06 नियत समय के बाद दिनांक 17.10.2023 को न्यायालय में अपना बयान तहरीरी दाखिल की है तथा प्रस्तुत वाद में संघर्ष करना चाहती है। अतः न्यायहित में प्रतिवादी सं0–06 का आवेदन मो0–1500/– रूपये हर्जे पर स्वीकार करते हुए आदेश दिनांक 16.07.2019 के आदेश को वापस लेते हुये प्रतिवादी सं0–06 की ओर से दाखिल बयान तहरीरी को ग्रहण किया जाता है। आगामी दिनांक 15.03.2024 वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत। लेखापित अवर न्यायाधीश नरकटियागंज	